कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, नवानगर–बलिया।

पत्रांकः– 239 /ई–टेण्डर/2026–27 दिनांक– 19-5-26

अल्पकालिक ई–निविदा सूचना

जिलाधिकारी महोदय के आदेश के कम में ई–टेण्डरिंग खण्ड विकास अधिकारी नवानगर–बलिया में समस्त पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऑनलाईन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। पंजीकृत फर्म/ठेकेदार ई–निविदा प्रस्तुत कर सकते है।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	निविदाओं की ऑनलाईन उपलब्धता	ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की तिथि	मूल अभिलेख (निविदा सूचना के अनुसार जमा करनें की अन्तिम तिथि समय)	ई–टेण्डरिंग निविदा खोलने की तिथि व स्थान
1	ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर अपलोड निविदा।	दिनांक 20.05. 2026 को पूर्वान्ह 11:30 बजे से दिनांक 28.05. 2026 अपरान्ह 05:00 बजे तक।	28.05.2026 को अपरान्ह 05:00 बजे तक।	दिनांक 20.05.2026 को पूर्वान्ह 11:30 बजे से दिनांक 28.05.2026 अपरान्ह 05:00 बजे तक।	29.05.2026 अपरान्ह 12:00 बजे विकास खण्ड नवानगर–बलिया

www.etender.up.nic.in पर उक्त निविदाओं की विस्तृत जानकारी हेतु लाग–ऑन करके देखी जा सकती है।

खण्ड विकास अधिकारी
नवानगर–बलिया

प्रतिलिपिः– स्थानीय संवादाता/विज्ञापन व्यवास्थापक को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन को अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम दर पर प्रकाशित कर प्रकाशन की दो प्रतिया बिल के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

खण्ड विकास अधिकारी
नवानगर–बलिया

पशु चिकित्साधिकारी
राजकीय पशु चिकित्सालय
नवानगर-बलिया

/

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी–नवानगर, बलिया।

पत्रांक 238 /गोशाला/भरण–पोषण/भूसा–क्रय/2026–27 दिनांक– 19-05-26

ई–निविदा सूचना

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी–नवानगर, बलिया। पत्रांक 1295/गोशाला/भरण–पोषण/भूसा–क्रय/2025–26 दिनांक–25.03.2026 ई–निविदा सूचना जिलाधिकारी महोदय, बलिया के पत्र संख्या–1111/गोशाला/भूसा/साईलेज/क0अनु0/2025–26 दिनाकं 10.02.2026 के द्वारा इस विकास खण्ड नवानगर के क्षेत्रान्तर्गत संचालित गोवंश आश्रय स्थल हड़सर तिवारीपुर विकास खण्ड–नवानगर जनपद बलिया में संरक्षित गोवंशों को खिलाने हेतु आगामी वर्ष 2025–26 के लिए भूसे के क्रय हेतु टेण्डर के माध्यम से दर अनुबन्ध किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सन्दर्भ में निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–351/सामा0–2/बारह–588/2023–24 दिनांक 19 फरवरी, 2025 के क्रम मे शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस– 22018–5 (53)/2018 दिनांक 02.जनवरी 2018 के प्रस्तर–3.8.2 (घ) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर पशुओं के चारे एवं भूसे/साइलेज की व्यवस्था करने एवं भूसा/साइलेज रखने की व्यवस्था तथा शासनादेश संख्या–600/सैंतीस/2–2023–5(53)/18टी0सी0–1, दिनांक 03.03.2023 तथा शासनादेश संख्या 673/सैंतीस–2–2022–5(53)/18 टी0सी0–2, दिनाकं 01.05.2022 दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से संरक्षित निराश्रित गोवंशो के भरण–पोषण हेतु पूर्व से ही निर्गत दिशा निर्देशों एवं प्रमुख सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 970/सैंतीस–2–2024–5 (53)/18 टीसी–3 पशुधन अनुभाग–2 दिनांक 07.05.2024 और निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उ0प्र0 के पत्र संख्या–4728 सा0–2/गपप–716/2025–26 दिनांक 23.03.2026 एवं जिलाधिकारी महोदय, बलिया के पत्र संख्या–1111 दिनांक 10.02.2026 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में विकास खण्ड नवानगर की निम्नवत शर्तो के अधीन पोर्टल पर भसू क्रय की दरों के निर्धारण हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है,

अल्पकालिक ई–निविदा सूचना

क्र0	विवरण	निर्धारित तिथि व समय
1	बेवसाइड का नाम।	**http://etender.up.nic.in**
2	ठेकेदार/फर्मो द्वारा निविदा डाउनलोड करनें की अवधि।	दिनांक 20.05.2026 को पूर्वान्ह् 11:30 बजे से दिनांक 28.05.2026 अपरान्ह् 05:00 बजे तक।
3	ठेकेदार/फर्म द्वारा डाउनलोड की स्वप्रमाणित प्रति विकास खण्ड नवानगर कार्यालय बलिया पर जमा करनें की तिथि व समय।	दिनांक 20.05.2026 को पूर्वान्ह् 11:30 बजे से दिनांक 28.05.2026 अपरान्ह् 05:00 बजे तक।
4	निविदा समिति द्वारा निविदा खोलनें की तिथि।	दिनांक 29.05.2026 को अपरान्ह् 12:00 बजे

वर्तमान में संरक्षित गोवंशों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क0 सं0	गौवंशआश्रय स्थल का नाम	संरक्षित पशु संख्या (माह मार्च 2026 के अनुसार)	गौवंश आश्रय स्थल में निराश्रित पशुओं के लिए आपूर्ति होने वाला चारा	
			भूसा	दाना/पशु आहार
			(पांच कि0ग्राम0प्रति पशु) (उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री कुन्तल में)	(300 ग्राम प्रति पशु) (उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री कुन्तल में)
1	गोवंश आश्रय स्थल हड़सर (तिवारीपुर) नवानगर–बलिया।	48	876	53
योग		48	876	53

उपरोक्तानुसार तालिका में दर्शायें विवरण के अनुसार भूसा 876 कुन्तल और चोकर/दाना 53 कुन्तल औसत आपूर्ति किया जाना होगा।

कमशः 02 पर

A

<u>भूसा क्रय की शर्ते निम्न प्रकार हैः–</u>

1. शासनादेश संख्या 970/37–2–2024–5(53) 18 टीसी–3 पशुधन अनुभाग–2 दिनांक 07.05.2024 के प्राविधानानुसार जिलाधिकारी महोदय, बलिया द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में भूसा क्रय की अधिकतम अनुमानित दरें रू0 700 प्रति कुन्तल से अधिक नहीं होगी। अनुबन्ध दरों से न्यूनतम दर पर गौशाला भूसा क्रय हेतु स्वतंत्र होगी।
2. उपरोक्त तालिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में 876 कुन्तल लगभग भूसा रूपये 700.00 प्रति कुन्तल की दर से कुल धनराशि रू0 06.132 लाख रूपये अनुमानित बिड मूल्य होगा, जिसमें ई0एम0डी0 (धरोहर राशि) एफ0डी0आर0/एन0ए0सी के रूप में रू0 13000.00 मात्र का खण्ड विकास अधिकारी नवानगर के पक्ष में बन्धक रखा जायेगा। जिसे जमा किया जाना अनिवार्य होगा। भूसा की आपूर्ति हेतु सम्भावित अनुमानित मात्रा दर्शायी गयी है, जो घट/बढ़ सकती है।
3. निविदा शुल्क 1000.00 (एक हजार मात्र) खण्ड विकास अधिकारी, नवानगर–बलिया के विविध खाता सं0–680702010010650, IFSC code UBIN0568074 यूनियन बैंक में RTGS/NEFT/नगद जमा करना अनिवार्य होगा और उसकी स्कैन प्रति ई–टेण्डर पर अपलोड करते हुए मूल प्रति निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार/फर्म की निविदा को अवैध माना जायगे ।।
4. प्रत्येक माह के लिये सम्भावित आवश्यक भूसा की मात्रा आपूर्ति पूर्व माह की 25 तारीख तक प्रत्येक दशा में करनी होगी।
5. सेवा प्रदाता फर्म का जी0एस0टी0 पंजीकरण होना अनिवार्य है, जिसकी छाया प्रति संलग्न करें।
6. सेवा प्रदाता फर्म का पैन कार्ड पंजीकरण होना अनिवार्य है, जिसकी छाया प्रति संलग्न करें।
7. सेवा प्रदाता फर्म को 03 वर्ष का आई0टी0आर0 संलग्न करना अनिवार्य है, जिसकी छाया प्रति संलग्न करें।
8. सेवा प्रदाता फर्म की दरें, जी0एस0टी0 सहित एफ0ओ0आर0 (गोदाम के अन्दर तक पहुंचाने तक) की होनी चाहिए।
9. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा भूसा की आपूर्ति 01 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक मान्य होगी। सेवा प्रदाता का कार्य संतोषजनक होने पर ही निर्धारित तिथि तक आपूर्ति मान्य होगी।
10. सेवा प्रदाता फर्मो के माध्यम से प्राप्त हुई न्यूनतम दरों पर क्रय समिति के द्वारा विचार करने के उपरान्त न्यूनतम दरें स्वीकृत होंगी।
11. गौवंश आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंश की दर पूर्ति हेतु उच्च/उच्चतम कोटि का, भूसा की आपूर्ति स्थाल एवं भूसा डिपो पर धर्मकांटे की तौल पर देना होगा।
12. सेवा प्रदाता के पास वर्ष भर भूसा आपूर्ति हेतु पर्याप्त भूसे का स्टाक होना चाहिए।
13. क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त कर दें, किसी भी वाद हेतु न्यायालय क्षेत्र जनपद बलिया होगा।
14. सेवा प्रदाता फर्म को रू0 100.00 के स्टाम्प पर काली सूची में न होने के शपथ–पत्र प्रस्तुत कराना होगा।
15. चूकि गौवंश आश्रय स्थल हड़सर (तिवारीपुर) विकास खण्ड–नवानगर जनपद–बलिया द्वारा संचालित की जा रही है तथा ग्राम पंचायत के आदेश के क्रम में ही भूसा की आपूर्ति की जायेगी तथा क्रय किये गये भूसा का भुगतान भी ग्राम पंचायत–हड़सर (तिवारीपुर) विकास खण्ड–नवानगर, जनपद–बलिया ही करेंगी।
16. किसी भी दशा में भुगतान हेतु खण्ड विकास अधिकारी–नवानगर एवं पशु चिकित्साधिकारी–नवानगर उत्तदायी नहीं होगें। इस सम्बन्ध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। उपरोक्त प्रक्रिया केवल दरों के निर्धारण हेतु की जा रही है।

पशु चिकित्साधिकारी
नवानगर, बलिया

पशु चिकित्साधिकारी
राजकीय पशु चिकित्सालय
नवानगर-बलिया

खण्ड विकास अधिकारी
नवानगर, बलिया

क्रमशः 03 पर

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः— निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी—नवानगर, बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. भूसा क्रय समिति खण्ड विकास अधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पं0) नवानगर, बलिया व सचिव/ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत—हड़सर तिवारीपुर, नवानगर विकास खण्ड—नवानगर, बलिया।
3. जिला विकास अधिकारी महोदय, बलिया।
4. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी महोदय, बलिया।
5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलिया।
6. जिलाधिकारी महोदय, बलिया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

पशुचिकित्साधिकारी
नवानगर, बलिया

प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी
राजकीय पशुचिकित्सालय
नवानगर- बलिया

खण्ड विकास अधिकारी
नवानगर, बलिया

Signature Not Verified

Digitally signed by VINOD KUMAR BIND
Date: 2026.05.19 18:23.14 IST
Location: Uttar Pradesh-UP